

झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-05.04.2019

विज्ञापन संख्या-01/2019

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभाग में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	कोटि						कुल रिक्ति
		अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	बी०सी०-I	बी०सी०-II	ई०डब्ल्यू०एस०	
1.	ऐनाटोमी	02	03	01	01	-	01	08
2.	फिजियोलॉजी	02	02	01	01	-	-	06
3.	बायोकेमिस्ट्री	01	02	01	01	-	-	05
4.	पैथोलोजी	06	03	01	01	-	01	12
5.	माईक्रोबायोलॉजी	-	02	01	01	-	-	04
6.	एफ०एम०टी०	02	01	-	01	-	-	04
7.	फार्माकलोजी	03	02	01	01	-	-	07
8.	पी०एस०एम०	07	04	01	01	01	01	15
9.	औषधि	09	06	03	02	01	02	23
10.	टी०बी० चैस्ट	05	02	01	01	-	-	09
11.	शिशु रोग	05	03	01	01	01	01	12
12.	सर्जरी	12	06	03	02	02	02	27
13.	अस्थि	06	04	01	01	01	01	14
14.	ई०एन०टी०	03	02	-	02	01	01	09
15.	नेत्र	02	05	-	01	-	01	09
16.	स्त्री एवं प्रसव	08	05	01	01	01	01	17
17.	रेडियोलॉजी	04	01	01	01	-	-	07
18.	रेडियोथेरेपी	05	03	01	01	-	-	10
19.	निश्चेतना	10	06	02	02	01	02	23
20.	दन्त	04	03	01	01	01	01	11
21.	रक्त अधिकोष	04	01	01	01	-	-	07
22.	चर्म एवं यौन रोग	04	02	01	01	-	01	09
23.	मनो रोग	05	02	01	01	-	-	09
24.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	03	01	-	01	-	-	05
	कुल	112	71	25	28	10	16	262

नोट:- (a) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिला-5 प्रतिशत, खेल कूद-2 प्रतिशत, निःशक्तजनों को 4 प्रतिशत का अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद देय होगा, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विनियमित होगा।

(b) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

1. वेतनमान – PB-III, रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 – 6600
2. पद – स्थायी
3. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
4. अनिवार्य अर्हता:—सीधी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा— एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री।

या

झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेन्ट/सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

5. उम्र गणना की तिथि:—01.08.2019

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 30 वर्ष।
- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	45 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट:—झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा।

- (c) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (d) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।
6. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। साक्षात्कार का आयोजन आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :-

	70%	65%	60%	55%	50%
	से उपर	से उपर	से उपर	से उपर	से उपर
(a) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं का कुल योग:-	5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

	70%	65%	60%	55%	50%
	से उपर	से उपर	से उपर	से उपर	से उपर
(b) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक:-	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

(c) एम0डी0/एम0एस0 अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता:-	10 अंक
(d) उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0:-	10 अंक
(e) साक्षात्कार:-	06 अंक
(f) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)	10 अंक

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

7. न्यूनतम अर्हतांक:-नियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. आरक्षण का लाभ :-

(a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 1754 दिनांक- 25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी।

(c) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित विहित प्रपत्र-IV एवं VI के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(d) संबंधित जाति प्रमाणपत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित प्रति अन्य वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन की कण्डिका 11(o) के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(e) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(f) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(I) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-VI (ननक्रीमीलेयर सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(III) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से निर्गत विहित प्रपत्र में निर्गत अद्यतन आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(g) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

9. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. परीक्षा शुल्क:—

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, परंतु कंडिका-11(o) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित Hard Copy निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (c) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (d) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. - 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (d) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-

- (e) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No.- 0651/2213009** संपर्क किया जा सकता है।
- (f) **Online Application System** के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (g) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (h) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (**Spelling**) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (i) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें
- (j) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ऑनलाइन (**Online**) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। **अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**
- (k) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (l) **Online Application** पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (m) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (n) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (o) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-**
- (i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र,
- (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा- एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री।
- (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्ष का रेजिडेन्ट/सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- (v) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- (vi) अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (vii) उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-**12.04.2019** तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-**01/2019** तथा परीक्षा का नाम यथा- **झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियमित नियुक्ति परीक्षा**" मॉटे (**Bold**) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

12. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 08.03.2019 से 05.04.2019 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) उक्त कंडिका-11(0) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि-12.04.2019 के अपराह्न 6:00 बजे तक होगी।
- (ग) दिनांक-05.04.2019 के बाद दिनांक-09.04.2019 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0- /

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची।

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (in case of married
woman) of Village/ Town.....District/Division*.....of the
State/Union Territorybelongs to Caste/Sub-Caste
under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand
and professes Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
.....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand
State.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
 - (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
 - (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of Wife of (in case of married woman) of Village/ Town.....District/Division*.....of the State/Union Territorybelongs to the Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reseration of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. Non-Creamy Layer certificate is required to be annexed with this certificate for seeking benifit of reservation in appointment under Govt. of Jharkhand or seeking admission in Technical/Non-technical Institution for Higher Education or any other purpose.

4. This certificate is valid till further orders or till any change made in State Caste list of Extremely Backward Classes/ Backward Classes.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
 - (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
 - (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001
- (d) The castes included in the list of Extremely Backward Classes./Backward Classes under section- 2 of the Jharkhand Reservation of of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001 vide Resolution No. 3885 Dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2007, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 6987 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

4

परिशिष्ट-1

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____
son/daughter/wife of _____ permanent resident of
_____ village/Street _____ post Office
_____ District _____ in the State/Union
Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her
'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year
_____. His/her family does not own or possess any of the following
assests***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____
caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-
I/BC-II.

Signature with seal of office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested Photograph
of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति
 (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर, जिला/प्रमंडल
, राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखंड राज्य में यथा
 अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन
 जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
 झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में
 निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

झारखंड सरकार के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले जाति प्रमाण-पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
पिता पति
(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर, जिला/प्रमंडल
....., राज्य/संघशासित प्रदेश, जाति के सदस्य
हैं जो झारखंड राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में झारखंड रिक्तियों एवं पदों के लिये
आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये)
अधिनियम 2001 के अधीन मान्यताप्राप्त है तथा ये धर्म को मानने वाले
हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार
साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
..... में निवास करते हैं।

3. झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के
निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ
प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या-11) संलग्न करना
अनिवार्य होगा।

4. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में एतदसम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व
अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर
आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट
है :

- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर
समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक
दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं
और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों
के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा

गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

घ. झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 संकल्प सं. 3885, दिनांक 05.11.2011; 801, दिनांक 11.02.2003; 3436, दिनांक 28.06.2004; 6337, दिनांक 08.12.2004; 6374, दिनांक 11.12.2004; 368, दिनांक 19.01.2006; 2759, दिनांक 01.06.2006; 3706, दिनांक 15.07.2006; 4447, दिनांक 24.08.2007; 5182, दिनांक 26.09.2006; 1604, दिनांक 28.03.2007; 243, दिनांक 11.01.2008; 5108, दिनांक 23.09.2008; 4450, दिनांक 01.08.2011; 5826, दिनांक 19.09.2011; 6987, दिनांक 26.09.2011; 6580, दिनांक 20.10.2011; 8060, दिनांक 17.12.2011; 144, दिनांक 06.01.2012; 2855, दिनांक 27.03.2012 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.

तारीख

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु
लिंग पहचान चिन्ह निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी
निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक
सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|---|-----------|
| (I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (III) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (V) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VI) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VIII) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (X) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।